



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 781 राँची, गुरुवार

7 कार्तिक, 1937 (श०)

29 अक्टूबर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या- 01/विविध/स्था./07/2015- 3856--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिनियम की धारा 34 (2) (ख), धारा 40, धारा 41, धारा 42 तथा धारा 43, जिसमें क्रमशः वार्ड में क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्रों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों (Area Sabha Representatives) सम्मिलित एवं नामित किए जाने, अर्हताएँ निर्धारित करने तथा उनके मनोनयन की रीति, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जानी है, के आलोक में वार्ड क्षेत्रों का निर्धारण तथा क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों के मनोनयन हेतु अर्हता एवं नामांकन की प्रक्रिया निर्धारण के निमित्त निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

## 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- 1.1 संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका वार्ड क्षेत्र निर्धारण तथा क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों का मनोनयन नियमावली, 2015' कही जाएगी ।
- 1.2 विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- 1.3 प्रभाव की तिथि:- राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह नियमावली प्रवृत्त होगी ।

## 2. परिभाषाएँ

- 2.1 'अधिनियम' : 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011,
- 2.2 'नगरपालिका' : 'नगरपालिका' से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद-243 Q के तहत गठित स्वायत्तशासी संस्था
- 2.3 'वार्ड' समिति: 'वार्ड समिति' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 34 के अधीन गठित वार्ड समिति,
- 2.4 'मतदाता': 'मतदाता' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसका नाम महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा पार्षद के लिए होने वाले निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता सूची में दर्ज हो ।
- 2.5 'परिषद': 'परिषद' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 15 के तहत गठित परिषद।
- 2.6 'क्षेत्र': 'क्षेत्र' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 40 के तहत निर्धारित क्षेत्र ।

## 3. क्षेत्रों का निर्धारण:-

- 3.1 नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड में क्षेत्रों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा:-
  - 3.1.1 एक से दो लाख की जनसंख्या, वाले शहरी स्थानीय निकाय में वार्ड क्षेत्र: किसी वार्ड के अन्तर्गत प्रत्येक दो मतदान केन्द्रों के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए

- 3.1.2 दो लाख से ऊपर एवं पाँच लाख तक की जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय में वार्ड क्षेत्र: किसी वार्ड के अन्तर्गत प्रत्येक तीन मतदान केन्द्रों के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ।
- 3.1.3 पाँच लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय में वार्ड क्षेत्र: किसी वार्ड के अन्तर्गत प्रत्येक चार मतदान केन्द्रों के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ।
- 3.2 वार्ड के क्षेत्रों के निर्धारण प्रस्ताव को शहरी स्थानीय निकाय की पर्षद के द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा।
4. क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु अर्हताएँ:-
- 4.1 क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु संबंधित वार्ड क्षेत्र में वैसे सभी पंजी कृत मतदाता पर्षद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा अथवा इस अधिनियम के अधीन पर्षद निर्वाचित होने के लिए अनर्ह न हो ।
- 4.2 उपर्युक्त आशय का शपथ पत्र समर्पित करना होगा।
5. नामांकन की प्रक्रिया:-
- 5.1 क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के नामांकन का कार्य निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सम्पादित किया जायेगा:-
- 5.1.1 पर्षद के निर्वाचन के दो माह के अन्दर संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति गठित की जानी है, जिसमें उक्त वार्ड में स्थित क्षेत्रों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधि नामांकित किए जायेंगे।
- 5.1.2 किसी क्षेत्र विशेष के लिए, उक्त क्षेत्र में पंजीकृत कोई भी मतदाता पर्षद के समक्ष क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के रूप में विचार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो उक्त पद पर मनोनयन हेतु निर्धारित अर्हताएँ पूरी करता हो।
- 5.1.3 संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित प्राधिकारी, यथा- महापौर/अध्यक्ष, पर्षद के निर्वाचन के दो माह के अंदर प्रत्येक वार्ड के लिए क्षेत्र सभा प्रतिनिधियों

के नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त करने तथा मनोनयन के लिए वृहद प्रचार-प्रसार करते हुए तिथि का निर्धारण किया जाएगा ।

5.1.4 क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के नामांकन पर विचार करने हेतु संबंधित शहरी स्थानीय निकाय में निम्नांकित गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा:-

- |   |            |
|---|------------|
| (i) महापौर/अध्यक्ष  | :- अध्यक्ष |
| (ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदा./विशेष पदा.                    | :- सदस्य   |
| (iii) संबंधित वार्ड के पार्षद   | :- सदस्य   |
| (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षद    | :- सदस्य   |
| (v) महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला पार्षद                          | :- सदस्य   |
| (vi) संबंधित वार्ड के सिविल सोसाईटी का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित व्यक्ति | :- सदस्य   |

5.1.5 क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु विहित अर्हताएँ एवं अंकों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

- |         |                             |   |         |
|---------|-----------------------------|---|---------|
| 5.1.5.1 | कुल पूर्णांक                | - | 100 अंक |
| 5.1.5.3 | शैक्षणिक योग्यता के आधार पर | - | 50 अंक  |

शैक्षणिक योग्यता हेतु अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा:-

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
मैट्रिक	10	7.5	5
इन्टर	10	7.5	5
स्नातक	10	7.5	5
स्नातकोत्तर	10	7.5	5
पी.एच.डी.	10		

5.1.5.3 जिम्मेदार नागरिक के आधार पर- 30 अंक

अच्छे नागरिक के कर्णाकण हेतु नगरपालिका के करों के भुगतान को आधार माना जाएगा एवं इस हेतु अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा:-

- (i) जिस वित्तीय वर्ष में नामांकन किया जाना है, उसके पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के बकाये होल्डिंग करों के समस्त भुगतान हेतु - 10 अंक
- (ii) पिछले दो वित्तीय वर्षों के बकाये जल करों के समस्त भुगतान हेतु - 10 अंक
- (iii) पिछले एक वित्तीय वर्ष के बकाये ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता शुल्क के समस्त भुगतान हेतु - 10 अंक

जिस क्षेत्र में नगरपालिका के द्वारा जला पूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है, उक्त क्षेत्र में आवासित आवेदक नागरिक को जल कर हेतु निर्धारित पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे ।

5.1.5.4 वार्ड में आवासन की अवधि के आधार पर - 20 अंक

अंकों का वितरण निम्न प्रकार होगा:-

- (i) संबंधित वार्ड में आवासन की अवधि 5 वर्ष से अधिक होने पर -20 अंक
- (ii) संबंधित वार्ड में आवासन की अवधि 5 वर्षसे कम होने पर -समानुपातिक अंक

6. निर्वसन:-

6.1 उपरोक्त नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो अधिनियम की संसंगत धाराओं के तहत उस पर विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

7. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

7.1 इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने के तिथि से निरसित समझे जाएंगे ।

7.2 ऐसे निरसन के होते हुए भी यदि कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा कोई किया गया कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

-----